न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री छत्रपाल चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 80 / 2022 / प्रार्थना पत्र

उनवान

1. कन्हीराम पि. देवीलाल जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
2. रामनारायण पि. देवीलाल जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
3. श्यामलाल पि. देवीलाल जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
4. मोतीलाल पि. देवीलाल जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
5. मनोहरलाल पि. देवीलाल जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
6. मांगीबाई पुत्री देवीलाल जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
7. मेहताबबाई पत्नि देवीलाल जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल

– प्रार्थीगण

बनाम

1. नन्दराम पि. देवीसिंह जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
2. गुडडीबाई पुत्री परथीसिंह जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
3. प्रकाशचन्द पि. परथीसिंह जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
4. भगवानसिंह पि. परथीसिंह जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
5. भवानीलाल पि. जानकीलाल जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
6. रामस्वरूपबाई पत्नि हरीसिंह जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
7. शम्भूसिंह पि. देवीसिंह जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
8. सोहनबाई पुत्री परथीसिंह जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थी – श्री हुकुमचन्द कुमावत

वकील अप्रार्थी – श्री अहमद उल्ला खान

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

निर्णय दिनांक : 01/08/2024

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता धारा 251 ए रा.टी.एक्ट. के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सामिया तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 37 रकबा 1.4417 हेक्टर भूमि के रास्ते के लिये प्रार्थना पेश किया है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि ख.नं. 37 में जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख.नं. 709/28 रकबा 1.5176 हेक्टर भूमि में होकर पहुँचते है। प्रार्थीगण का रास्ता ख.नं. 28 पर है जिसका विवरण इस प्रकार है –

रास्ता ग्राम सामिया से पूर्व से पश्चिम में चलकर ख.नं. 34, ख.नं. 709/28 के उत्तर मेड के सहारे आगे जा रहा है। इस रास्ते से प्रार्थीगण अपने ख.नं. 37 के पश्चिमी भाग पर उत्तर से दक्षिण चलकर पुनः घूमकर ख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड से होकर प्रार्थीगण ख.नं. 37 में प्रवेश करते है। यह रास्ता पिछले 70 वर्षो से विद्यमान है जिसकी चौडाई 15 फीट है जिसका प्रार्थीगण सनातन से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है परन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को बंद करने के लिये खाई लाग दी है जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार सुनेल को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। तहसीलदार सा. सुनेल के आदेश पर दिनांक 11.06.2022 को पटवारी हल्का, भूअभिलेख निरीक्षक ने मौके पर जाकर समझाईश कर रिपोर्ट बनायी परन्तु बाद में अप्रार्थीगण ने रास्ता बंद करने की नियत से झगडा शुरू कर दिया। प्रार्थीगण के निवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा भी मौका देखा गया परन्तु समाधान नहीं हो सका।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकर कर ग्राम सामिया की आराजी ख.नं. 37 पर पहुँचने के लिये ख.नं. 709/28 पर 15 फीट चौडा रास्ता प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ के B to C बिन्दू स्थान पर पूर्ण लम्बाई व चौडाई का स्वीकृत कर तहसीलदार सुनेल के माध्यम से सीमांकन करवाया जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा परिशिष्ट अ एवं ग्राम सामिया की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 9, 66 की प्रति, नक्शा ट्रेस एवं मौका रिपोर्ट दि. 11.06.2022 तथा आधारकार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत की।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री अहमद उल्ला खान ने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

COURT 2024

उपखण्ड अधिकारी
... जिला झालावाड़ (राज.)

वकालातनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विशेष आपत्तियों में निवेदन किया कि मौके पर न तो प्रार्थीगण की आराजी पर जाने का प्रचलित रास्ता है और न ही राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है। अप्रार्थीगण की आराजी पर मेहन्दी की बागर हो रही है जिसका उल्लेख पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट में है। प्रार्थीगण का अन्यत्र वैकल्पिक रास्ता हमेशा से रहा है जिसका उपयोग प्रार्थीगण करते आ रहे है। अप्रार्थीगण की आराजी में 15 फीट चौडाई का रास्ता देने से अप्रार्थीगण की आराजी बर्बाद हो जावेगी। पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार की है जबकि उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार सुनेल से मौका रिपोर्ट रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुनेल की ओर से भू.अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट एवं डीएलसी की दर प्राप्त हुई। रिपोर्ट दिनांक 19.03.2024 के अनुसार ग्राम सामिया की आराजी ख.नं. 37 पर आने जाने के लिये प्रार्थी अपने खाते की आराजी ख.नं. 34 से होकर अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड पर होकर रास्ता दिया जा सकता है। ख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड पर 12 फीट चौडा एवं 132 फीट लम्बा कुल 1584 वर्ग फीट भूमि अर्थात 0.0147 हेक्टर भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में होगा। ग्राम सामिया की सिंचित भूमि की डीएलसी दर 567445 रूपये प्रति हेक्टर है। वस्तु स्थिति की रिपोर्ट नजरी नक्शे में दर्शायी है।

पत्रावली एवं तहसीलदार सुनेल की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं विद्वान वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण में यह पाया कि प्रार्थीगण को ग्राम सामिया की अपने खातेदारी की आराजी ख.नं. 37 में आने जाने के लिये 12 फीट चौडा रास्ता हेतु अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड पर 132 X 12 = 1584 वर्ग फीट अर्थात 0.0147 हेक्टर भूमि नवीन रास्ता कायमी हेतु दिया जा सकता है। उक्त नवीन रास्ता कायमी से होने वाली अप्रार्थीगण की भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थीगण को ग्राम सामिया की सिंचित कृषि भूमि की डीएलसी दर 567445 रूपये प्रति हेक्टर की दर से जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दर का दोगुना प्रतिकर 16682 रूपये का भुगतान करना होगा।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

COURT 2024

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण को अपने खाते की ग्राम सामिया की आराजी ख.न. 37 पर पहुँचने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 709/28 की दक्षिणी मेड पर 132 X 12 = 1584 वर्ग फीट अर्थात 0.0147 हेक्टर भूमि नवीन रास्ता कायमी दिया जाता है एवं अप्रार्थीगण को होने वाली क्षति के कारण प्रार्थीगण को ग्राम सामिया की सिंचित कृषि भूमि की डीएलसी 567445 रूपये प्रति हेक्टर की दर से 16682 रूपये का भुगतान अप्रार्थीगण को किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सुनेल आदेशानुसार प्रार्थीगण से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को करवाकर रिकार्ड मे नवीन रास्ता कायम करना सुनिश्चित करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Chhar
(छत्रपाल चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज.)

Scanned with OKEN Scanner